


दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज किशोर बनाम तहसीलदार सीकर मु0नं0 12/2020	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
17.09.2021	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी एवं वकील अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी एवं वकील अपीलार्थी को कई बार आवाज लगाई गई। अंतिम आवाज सायं 05.00 बजे लगवाई गई परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः अपील अपीलार्थी अदम हाजरी अदम पेरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निणर्य की प्रति के साथ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।</p> <p style="text-align: center;">  (बाबूलाल गौयल) अति.संभागीय आयुक्त, जयपुर </p>	

12
2020



2020/00218

2/18

मोहंन (15/11/18)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय सीकर

किशोर पुत्र मोहंन उम्र 50 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम बराल तहसील
व जिला सीकर। m 9928530788

17/11/18

—अपीलांट

बनाम

तहसीलदार सीकर।

—रेस्पोंडेन्ट

Asst
रिपॉर्ट कर

RBR
12-11-18

अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956
विरुद्ध निर्णय न्यायालय जिला कलेक्टर पीठासीन
अधिकारी श्री नरेश कुमार ठकराल आई0ए0एस0
पत्रावली संख्या 8/2016 अपील उनवानी किशोर
बनाम तहसीलदार सीकर दिनांकित 19-12-17 एवं
न्यायालय तहसीलदार सीकर मुकदमा नम्बर 39/2015
उनवानी राज0 राज्य सरकार बनाम किशोर अन्तर्गत
धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 दिनांकित
30-12-2015

मान्यवर महोदय,

अपीलांट की ओर से अपील निम्नलिखित आधारों पर
अन्दर मियाद माननीय न्यायालय के समक्ष सादर प्रस्तुत है:-

- (1) यह कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19-12-17 एवं तहसीलदार सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30-12-15 विरुद्ध कानून एवं विरुद्ध पत्रावली है।

किशोर